

राजस्थान सरकार
कार्यालय अनुग्रह, कालेज शिक्षा, राजस्थान, अमृपुर
प्रमाणक एफ.ए. (२३)लेखा/आकाशि/अनुदान/2004-05/60

दिनांक ५ जूलाई, 2004

कॉन सोसाइटी,
कोटा विश्वविद्यालय
कोटा ।

विषय— रात्र 2004-05 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अरथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला


गलोदाय,

उपरोक्त विषयानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रसरत अनुग्रहन एवं संस्था के द्वारा प्रत्युत नीटेशी पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्तिप्राप्त शास्त्र पर शास्त्र-पत्र के अन्तर्गत पर विभिन्नानुसार नवीन महाविद्यालयों के लिए रात्र 2004-05 में प्रारम्भ करने हेतु निर्णयित शास्त्र पर 2004-05 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के राम्युख अंकित रांकाय/विषय हेतु अरथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाली है—

क्र. सं.	रोन्टरिंग ट्रस्ट/ संस्था का नाम	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	संकाय/विषय
1.	इंस्टीट्यूट आफ प्रोग्रेसिव पीपुल्स राष्ट्रियति, सवाईमाधोपुर-९७	टैगोर महाविद्यालय, बौली, सवाईमाधोपुर	स्नातक रत्तर— कुला संकाय- अनिवार्य विषयों सहित, राजनीतिशास्त्र, राष्ट्रजागरण, इन्डी राहित्य, अधीजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, अण्डाश्वर, जन्म लोक प्रशासन, गृष्ण विज्ञान स्नातक रत्तर विज्ञान संकाय- अनिवार्य विषय सहित, रसायन विज्ञान, और्तिक विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वनराजि शारत्र, गणित।

1. राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय संवादित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से ८ पाँच दिन अपनी गैवित्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्णीत पाठ्यक्रमों के अनुरूप महाविद्यालय संचालन हेतु निर्णयित करवा देंगे।
2. यदि रांची निर्णीति पाठ्यक्रम के अनुरूप भवन का निर्माण / व्यवरथा नहीं पाती है, तो यदि रांची निर्णीति पाठ्यक्रम के अनुरूप भवन का निर्माण करवा देने का अनिवार्य विषय होगा।
3. यदि रांची निर्णीति पाठ्यक्रम के अनुरूप भवन का निर्माण करवा देने का अनिवार्य विषय होगा।
4. अरथाई परिचार में रांची/गांधीविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुगति प्रदान नहीं की जायेगी तभी प्रदान वर्ष/पूर्वांश की घोषणाएँ जाने हेतु प्रारम्भ गवान उपलब्ध होना आवश्यक है। ऐसी प्रकार अगले कार्यों में जानी जानी वाली विषयों के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
5. शिक्षण व अन्य शुल्क वावत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु रांची व महाविद्यालय यात्रा होंगी।
6. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. र्योकूत पाठ्यक्रमों हेतु राम्यगित विश्वविद्यालय रो रायद्वाता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. गहाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुरार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।
9. सायद्वद्वन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
10. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रदान कोई अनुदान उवत संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
11. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा जांचा गया अग्रिमेय उपलब्ध करायेगा।
12. द्वारा/संस्था की सामूहिक योजना की अनुगामी लागता का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता रखी होना आवश्यक है।
13. र्योकूत पाठ्यक्रमों के लिए गहाविद्यालय में उपलब्ध आधारगूप्त सुविधाओं (सभ्य यूजीसी द्वारा निर्धारित वर्ष अन्तरालारी शिक्षक) शिक्षार्थी तथा काम्प्यटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता नाले शिक्षक के साथच्च में एवं विश्वविद्यालय से सायद्वद्वन प्राप्त करने की सुनिश्चितता रो संस्था/महाविद्यालय आपा कानूने शिक्षा को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
14. सूचित विषया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार रांची रीग्यो में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
15. सूचित विषया जायेगा तथा रांची रीग्यो में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
16. रांची द्वारा निर्णयिता संस्था के संयुक्त स्थाने में निर्णीत पाठ्यक्रम जारी करनी होगी।

- प्रांगिनीप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. उप राधिव (जे), माधुर्यमन्त्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी राधिव, गा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजरथान, जयपुर।
 3. निजी सचिव, प्रगुण शारान राधिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 4. निजी राधिव, गा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजरथान, जयपुर।
 5. उप राधिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजरथान, जयपुर।
 6. विशेषालिङ्गरी, जन शिक्षा (पुप-4) विभाग, राजरथान, जयपुर।
 7. निला कलक्टर, रावाईपुर।
 8. अध्यक्ष/राधिव/गंशी, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
 9. निजी राधिव, आयुका, कालेज शिक्षा, राजरथान, जयपुर।
 10. काल्पन्तर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजरथान, जयपुर।
 11. रानीपुर सरस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
 12. रक्षित पत्रावली।



रामगंगन-निमेशक (अनुग्रह
कार्यालय) शिक्षा, राजस्थान
जयपुर